भारतीय ध्वज संहिता 2002 की मुख्य बातें

भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सभी देशवासियों के मन में प्यार और सम्मान है। यह देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और इसके इस्तेमाल के लिए, राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय ध्वज संहिता को तीन हिस्सों में बाँटा गया है। संहिता के पहले हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। दूसरा हिस्से में सरकारी, निजी और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय झंडे के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के बारे में बताया गया है। ध्वज संहिता के तीसरे हिस्से में केंद्र व राज्य सरकारों और उनके संगठनों व एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। लोगों को जानकारी मुहैया कराने के मकसद से यहाँ भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जा रहा है:

हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट

- एक आदेश के तहत भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में 30 दिसंबर 2021 को संशोधन किया गया और इसके तहत पॉलिएस्टर या मशीन से बने झंडे के इस्तेमाल की भी अनुमति दी गई है। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ या मशीन से बने होंगे और इसका कपड़ा सूती/पॉलिएस्टर ऊन/सिल्क खादी होगा। कोई भी सरकारी, निजी या शैक्षणिक संस्था हर दिन और अलग-अलग अवसरों पर तय दिशा-निर्देशों और सम्मान के साथ कभी भी झंडा फहरा सकती है।
- राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा। ध्वज का साइज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी लम्बाई और ऊँचाई का अनुपात 3:2 होगा। राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों की पट्टिका होगी और तीनों रंगों वाले पट्टिका की लम्बाई-चौड़ाई बराबर होगी। सबसे ऊपर केसरिया रंग होगा, बीच में सफेद और निचले हिस्से में हरा रंग होगा। सफेद रंग वाली पट्टिका के बीच में नीले रंग में अशोक चक्र होगा। अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 होगी। ध्वज में अशोक चक्र अच्छी तरह से छपा हुआ होना चाहिए और सफेद रंग वाली पट्टिका के बीच में दोनों तरफ से दिखनी चाहिए।

अगर ध्वज खुले में फहराया जा रहा है, तो यथासंभव इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जाना चाहिए (अगर मौसम खराब हो तो भी)।

राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए और इसके लिए खास जगह का चुनाव किया जाना चाहिए।

अगर ध्वज आधा-अधूरा है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी है, तो इसे नहीं फहराया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज को एक ही मास्टहेड में किसी अन्य ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता।

ध्वज संहिता के खंड IX में शामिल पदाधिकारियों, मसलन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि की गाड़ी को छोड़कर किसी भी अन्य गाड़ी पर ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज के अगल-बगल में किसी भी अन्य झंडे को उस ध्वज से ऊपर नहीं रखना चाहिए।

नोट: राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में ज़्यादा जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ■

'हर घर तिरंगा'

हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर सरकार ने 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम चलाया है जिसके अंतर्गत सभी देशवासियों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने की बात है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अब तक हमारा रिश्ता व्यक्तिगत नहीं, बल्कि औपचारिक और संस्थागत रहा है। आज़ादी के 75वें साल में ध्वज को सामूहिक तौर पर घर में लाने से न सिर्फ तिरंगे के साथ निजी जुड़ाव का एहसास होगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मज़बूती मिलेगी। केन्द्र सरकार की इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करना और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जागरुकता फैलाना है।

'हर घर तिरंगा' के बारे में क्यूआरकोड स्कैन करके सीधे वेबसाइट पर जाकर और जानकारी प्राप्त की जा सकती है।